को पेश है

31/10/19 प०का० उपस्थित वकील पत्र कारण
को सुना गया। प्रार्थीगण
विवादित भूमि के रिकार्डेड
खातेदार काश्तकार है नियमानुसार
प्रत्येक खातेदार काश्तकार को
अपनी भूमि की सुरक्षा हेतु
किसी अन्य को पाबन्द कराने
का अधिकार प्राप्त है प्रार्थीगण
विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार
काश्तकार होने से विवादित
भूमि में प्रार्थीगण के सम्बन्धी
हित निहित है इस प्रकार
प्रथम दृष्टया केस सुविधा
का सन्तुलन व अपूर्तीय
क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण
के हक में बखूबी साबित होता है
अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र
अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार

फर्द अहकाम

बनाम

…म न्यायालय

…स संख्या

…म संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		किया जाकर उभयपक्ष कारान को खसरा नम्बर 2236 लगायत 2241, 2247, 2248, 2251 कित्ते 9 का कुल रकबा 4.55 हैक्टेयर के ग्राम खाताडेवा तहसील चौमू के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 31/01/2013 को तहत फैसला वाद खारिज किया जाकर पाबन्द किया जाता है पत्रावली फैसला शुमार होकर उप नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो तथा मूल वाद के साथ संलग्न रहे। उपखण्ड अधिकारी चौमूँ जिला जयपुर	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2020.01.28 17:11:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: